मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

बुधवार, दिनांक 30 मार्च, 2011 (चैत्र 9, 1933)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.33 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. क्रिकेट मैच संबंधी घोषणा

मुख्यमंत्री महोदय द्वारा आज भारत-पाकिस्तान के मध्य विश्वकप क्रिकेट मैच के समय प्रदेश में विद्युत कटौती न करने तथा राज्य शासन के अधिकारी-कर्मचारियों (कोषालय, लेखा एवं अत्यावश्यक सेवाओं से संबद्ध स्टॉफ को छोड़कर) हेतु आधे दिन (अपराह्न) के अवकाश प्रदान करने के संबंध में सदन को सूचित किया गया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय के अधिकारी-कर्मचारियों (सत्र संबंधी कार्यों से संबद्ध स्टॉफ को छोड़कर) हेतु भी आधे दिन (अपराह्न) के अवकाश की घोषणा की गई। अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की ओर से भारतीय क्रिकेट टीम की विजय के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त की गई।

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित में से 12 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अन्तर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 118 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 103 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

3. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री पारस सकलेचा, सदस्य ने उज्जैन के पोषण आहार केन्द्रों में अनियमितता होने,
(2) श्री विश्वेश्वर भगत, सदस्य ने बालाघाट के कटंगी में ग्रामीण भूमि का पंजीयन शुल्क बढ़ाये जाने,
(3) श्री रमेश दिलीप भटेरे, सदस्य ने लांजी के ग्राम भाटे के समीपस्थ क्षेत्रों में विद्युत प्रदाय न होने,
(4) श्री परसराम मुद्‌गल, सदस्य ने मुरैना शहर के विद्युत कार्यालय में अधिकारी न होने,
(5) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य ने इंदौर सहित प्रदेश में साधारण पानी, मिनरल वाटर के रूप में बेचे जाने,
(6) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य ने टीकमगढ़ जिले में सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंककर्मियों को वेतन न मिलने,
(7) श्री गिरिजाशंकर शर्मा, सदस्य ने होशंगाबाद में सर्वशिक्षा अभियान में शाला निर्माण राशि का भुगतान न होने,
(8) श्री नारायण सिंह पट्‌टा, सदस्य ने भोपाल के राजीव गांधी विश्वविद्यालय में कक्षायें न लगने तथा
(9) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य ने बैतूल के ग्रामों में विद्युत लाईन से हुई अग्नि दुर्घटना का मुआवजा न दिये जाने संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2008-09 पटल पर रखा।

(2) श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) का सत्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2010 पटल पर रखा।

5. सम्पत्ति-विवरण का पटल पर रखा जाना

श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन द्वारा अपनी तथा परिवार की सम्पत्ति का विवरण पटल पर रखा गया।

6. ध्यान आकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सूचित किया गया कि नियम 138 (3) के अनुसार, किसी एक बैठक में 2 से अधिक ध्यानाकर्षण सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं। सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलम्बनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके आज की कार्यसूची में 4 सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(1) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उप नेता प्रतिपक्ष, सर्वश्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति एवं रामलखन सिंह, सदस्यगण ने हरदा जिले के ग्राम गोंगिया निवासी कृषक की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री राधेश्याम पाटीदार, सदस्य ने मंदसौर जिले में कृषकों को फसल बीमा की राशि न मिलने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उप नेता प्रतिपक्ष, श्री बिसाहूलाल सिंह एवं श्री के.पी.सिंह, सदस्यगण ने अनूपपुर जिले के ग्राम गुंवारी स्थित मोजर वेयर पावर प्लांट के श्रमिकों के साथ मारपीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) श्री खटीक रमेश प्रसाद, सदस्य ने शिवपुरी स्थित प्रायवेट बस स्टैण्ड को हटाये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

7. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी, सभापति ने महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति के तेरहवें एवं पन्द्रहवें (द्वादश विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर समिति का तृतीय एवं चतुर्थ (कार्यान्वयन) प्रतिवेदन (त्रयोदश विधान सभा) प्रस्तुत किया।

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 10 सन् 2011) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरान्त)

श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 10 सन् 2011) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

(2) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2011 (क्रमांक 7 सन् 2011) पर विचार किया जाय.

श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया ।

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ। खण्ड 2 में संशोधन :

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि खण्ड 2 में विद्यमान अनुसूची में अनुक्रमांक 5 के पश्चात् निम्नांकित अनुक्रमांक तथा शब्दावली स्थापित की जाये, अर्थात् :-

1	2	3	4	5	6
"6	आई.टी.एम. यूनिवर्सिटी, ग्वालियर	समता लोक संस्थान ट्रस्ट, ग्वालियर	मध्यप्रदेश रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी	आई.टी.एम. यूनिवर्सिटी परिसर, एन.एच.-75, झांसी रोड, सिंथौली, ग्वालियर	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

यथासंशोधित खण्ड 2 विधेयक का अंग बना।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2011 (क्रमांक 7 सन् 2011) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

(अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से कार्यसूची के पद 5 के उप-पद (3) तक कार्य पूर्ण होने तक समय में वृद्धि की गई)

(3) श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 14 सन् 2011) पर विचार किया जाय.

चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उप नेता प्रतिपक्ष ने चर्चा में भाग लिया ।

श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरान्त)

श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 14 सन् 2011) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 1.02 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 31 मार्च, 2011 (चैत्र 10, 1933) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिये स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 30 मार्च, 2011